

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन (जिला- गया, बिहार के सन्दर्भ में)

Sarita Kumari^{1*} Dr. Seema Pandey²

¹Research Scholar, Satya Sai University, Shehore

²Dean

सारांश – प्राथमिक विद्यालय में अपव्यय का दर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की तुलना में अधिक है, इसका कारण प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की उम्र कम होती है उन्हें अपने भविष्य को सोचने की क्षमता विकसित नहीं होती इसलिए ये बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठ जाते हैं और उनके अभिभावक भी इतने उदासीन होते हैं कि उन्हें विद्यालय भेजने में सख्ती नहीं करते और परिणाम वे अबोध बालक पढ़ाई छोड़ कर घर के कार्यों या किसी दूसरे के कार्यों में लग कर कुछ धन अर्जन करना चाहते हैं। जहाँ तक पूर्व माध्यमिक विद्यालय का प्रश्न है। अपव्यय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तो इतना भी नहीं होना चाहिए था परन्तु अभिभावक और छात्र के उदासीनता के कारण इतना प्रतिशत अपव्यय विद्यमान है।

अपव्यय के प्रमुख कारण तो छात्र और अभिभावक की उदासीनता, अरुचि और गरीबी है परन्तु जितना जिम्मेदार अभिभावक है इससे अधिक जिम्मेदार विद्यालय के अध्यापक और प्रशासक वर्ग भी है। परिषदीय विद्यालयों में शासन की तरफ से सारी सुविधाएं दी जा रही है परन्तु इसके बावजूद परिषदीय विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है जिसके कारण विद्यालय में अपव्यय और अवरोधन दर्ज हो रहा है।

-----X-----

प्रस्तावना

जीवन के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप मानव प्रगति भी कर रहा है। प्राचीन रूढ़ियों, परम्पराओं एवं मूल्यों का विघटन हो रहा है और उनके स्थान पर नवीन परम्पराओं मूल्यों एवं विधियों का सृजन हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र भी इन नवीन परिवर्तनों से प्रभावित रहा है। आज की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक प्रधान या पाठ्यक्रम प्रधान न होकर बालक प्रधान हो गयी है “बालक ही आधुनिक शिक्षा की वह धूरी है जिसके चारों तरफ शिक्षण प्रक्रिया घूमती है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अध्यापक तथा विद्यालय की समस्त शिक्षा व्यवस्था बालक के ही हितार्थ होती है। आधुनिक शिक्षा, बालक के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का आयोजन किया गया है।”⁷

बालक एवं बालिकाओं के शिक्षा का प्रबन्ध विशेष रूप से उसी के व्यक्तित्व तथा उसके मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। जिससे न की शैक्षिक तन्त्र को उपयोगी बनाकर विद्यालय में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या में कमी किया जा सके बल्कि इस समस्या को समाप्त किया जा सके। मनुष्य के जीवन का प्रमुख समय बाल्यकाल होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व की नींव इसी अवस्था में पड़ती है। इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा, वैज्ञानिक आकर्षक, रुचिकर एवं सुव्यवस्थित करना राष्ट्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शैक्षिक तन्त्र की कुशलता उसके संसाधनों पर निर्भर करती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा के विकास की ओर शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित हुआ है। प्राचीन काल में प्राथमिक

एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा का विकास असंतोषजनक रहा। इस समय शिक्षा का सुधार तो हुआ है परन्तु सन्तोषजनक नहीं।

प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास को देखने से स्पष्ट होता है कि समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। शिक्षा को सभी युगों एवं कालों में व्यक्ति, समाज, देश, सभ्यता और विकास का मूल आधार माना गया है। मानव का विकास शिक्षा द्वारा होता है। इसीलिए शिक्षाविद् डा० ए.एस. अल्तेकर का विचार है— “सा विद्या या विमुक्तये”। विद्या वह जो मनुष्य को मुक्ति दिलाए। शिक्षा से प्राप्त अर्न्तदृष्टि व्यक्ति को बुद्धि विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है। उसके सुख सुयश और समृद्धि में योग देती है और जीवन के यथार्थ महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करती है।

साहित्य की समीक्षा

बच्चों का प्रथम पाँच वर्षों का समय उसके विकास में बहुत महत्व रखता है और उस आयु वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बाल्यकाल एक ऐसा समय है जबकि बच्चा सबसे अधिक सीखता है। इसी दौरान उसका मानसिक विकास होता है। अतः 5 से 14 वर्ष की अवस्था शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। भारत के विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, संस्कृतियों तथा जातियों के लोग निवास करते हैं। यहाँ गरीबी साम्प्रदायिकता, आतंकवाद, जातिवाद, सामाजिक कुरीतियाँ आदि समस्याएँ हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा पर ध्यान देना परमावश्यक हो जाता है। अपने देश के साक्षरता की दर अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। अतः अपने देश और समाज के उत्थान के लिए शिक्षा पर

अत्यधिक बल देना होगा। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है “मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सब राजनीति उस समय तक विफल रहेगी जब तक कि भारत में जन साधारण को भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिए जाएंगे।”

जीवन के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप मानव प्रगति भी कर रहा है। प्राचीन रूढ़ियों, परम्पराओं एवं मूल्यों का विघटन हो रहा है और उनके स्थान पर नवीन परम्पराओं मूल्यों एवं विधियों का सृजन हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र भी इन नवीन परिवर्तनों से प्रभावित रहा है। आज की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक प्रधान या पाठ्यक्रम प्रधान न होकर बालक प्रधान हो गयी है “बालक ही आधुनिक शिक्षा की वह धुरी है जिसके चारों तरफ शिक्षण प्रक्रिया घूमती है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अध्यापक तथा विद्यालय की समस्त शिक्षा व्यवस्था बालक के ही हितार्थ होती है। आधुनिक शिक्षा, बालक के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का आयोजन किया गया है।”

बालक एवं बालिकाओं के शिक्षा का प्रबन्ध विशेष रूप से उसी के व्यक्तित्व तथा उसके मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। जिससे न की शैक्षिक तन्त्र को उपयोगी बनाकर विद्यालय में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या में कमी किया जा सके बल्कि इस समस्या को समाप्त किया जा सके। मनुष्य के जीवन का प्रमुख समय बाल्यकाल होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व की नींव इसी अवस्था में पड़ती है। इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा, वैज्ञानिक आकर्षक, रुचिकर एवं सुव्यवस्थित करना राष्ट्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शैक्षिक तन्त्र की कुशलता उसके संसाधनों पर निर्भर करती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा के विकास की ओर शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित हुआ है। प्राचीन काल में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा का विकास असंतोषजनक रहा। इस समय शिक्षा का सुधार तो हुआ है परन्तु सन्तोषजनक नहीं।

प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास को देखने से स्पष्ट होता है कि समय पर परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। शिक्षा को सभी युगों एवं कालों में व्यक्ति, समाज, देश, सभ्यता और विकास का मूल आधार माना गया है। मानव का विकास शिक्षा द्वारा होता है। इसीलिए शिक्षाविद् डा० ए. एस. अल्तेकर का विचार है— “सा विद्या या विमुक्तये” [22] विद्या वह जो मनुष्य को मुक्ति दिलाए। शिक्षा से प्राप्त अर्न्तदृष्टि व्यक्ति को बुद्धि विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है। उसके सुख सुयश और समृद्धि में योग देती है और जीवन के यथार्थ महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करती है।

प्राथमिक विद्यालय—

औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के प्रथम स्तर को प्राथमिक शिक्षा स्तर कहा जाता है। बालक की आयु 6 वर्ष होने पर प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ होती है और 11 वर्ष की उम्र अर्थात् कक्षा 1 से प्रारम्भ होकर कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा चलती रहती है। औपचारिक शिक्षा का विधिवत प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा से होता है पूर्व माध्यमिक शिक्षा से नहीं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की एक तैयारी मात्र है। अतः वह विद्यालय जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है प्राथमिक विद्यालय कहलाता है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय—

पूर्व माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण करने पर प्रारम्भ होती है। जब बालक कक्षा 5 उत्तीर्ण कर कक्षा 6 में प्रवेश करता है तब वह प्राथमिक शिक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षा में आता है अतः पूर्व माध्यमिक शिक्षा 11 से 14 वर्ष की उम्र तक चलती है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूर्व माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। अतः वह विद्यालय जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है पूर्व माध्यमिक विद्यालय कहलाता है।

हण्टर कमीशन (भारतीय शिक्षा आयोग) 1982—

हण्टर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग का गठन केवल प्राथमिक शिक्षा और उसकी समस्याओं पर विचार करने के लिए हुआ था लेकिन उसने माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना सुझाव दिया। आयोग ने विभिन्न स्तरों के शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इनके सुझाव का यह परिणाम हुआ कि देशभर में प्राथमिक विद्यालयों का जाल सा बिछ गया। इस कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में निम्न सुझाव दिया—

1. प्राथमिक शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। आदिवासियों और पिछड़ी हुई जातियों में प्रसार करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
2. प्राथमिक शिक्षा का प्रकाशन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को जिला परिषदों, नगरपालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर देना चाहिए।
3. प्रान्तीय सरकारों को इस कोष का 1/2 या सम्पूर्ण व्यय का 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में स्थानीय निकायों को देना चाहिए।
4. सम्पूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए।
5. प्राथमिक शिक्षा के स्तर को उन्नयन करने के लिए प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में कम से कम एक नार्मल स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए।

लार्ड कर्जन (1898—1905)—

1901 में शिमला सम्मेलन के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गयी। इस आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का विकास और प्रसार किया। नुरुल्ला व नायक ने यह घोषित किया है कि “कर्जन से श्रेष्ठतर मानसिक क्षमता का कोई वायसराय भारत में उस समय तक कभी नहीं आया था।” लार्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना, सरकार का प्रमुख कर्तव्य बताया था। इसलिए सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देकर उस पर अधिक धन व्यय करना आरम्भ कर दिया था। कर्जन की कट्टर राष्ट्रीयता की भावना के फलस्वरूप उसे सन्देह की दृष्टि से देखने लगे।

हर्टाग-समिति (1927-1929)–

ब्रिटिश लोकसभा ने 8 नवम्बर 1927 को भारत की आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक दशा की जाँच करने के लिए सर जान साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में 'राष्ट्रीय शिक्षा' का आन्दोलन चल रहा था। साइमन कमीशन को शिक्षा की स्थिति की जाँच करके अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर कमीशन ने भारतीय शिक्षा की जाँच करने के लिए एक सहायक समिति की नियुक्ति की। इस समिति के सभापति पद पर सर फिलिप हर्टाग को नियुक्त किया गया। सर हर्टाग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य तथा ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य कर चुके थे। उन्हीं के नाम पर समिति का नाम हर्टाग समिति रखा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 'साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत की। समिति ने शिक्षा के विभिन्न अंगों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि जहाँ एक ओर 10 वर्षों (1917-1927) में भारतीय शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सन्तोषजनक प्रगति हुई है वहीं दूसरी ओर उसमें अनेक दोष भी आये हैं जिनको दूर करना अति आवश्यक है।

उपसंहार

भारतीय प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप तथा प्राचीन भारतीय शिक्षा के स्वरूप में एवं व्यवस्था में महान अन्तर है। प्राचीन कालीन प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप से आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। वैदिक कालीन प्राथमिक शिक्षा, बौद्ध कालीन प्राथमिक शिक्षा, मुस्लिम कालीन प्राथमिक शिक्षा तथा ब्रिटिश कालीन प्राथमिक शिक्षा से वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में हण्टर कमीशन-1882, लार्ड कर्जन-1898-1905, हर्टाग समिति-1927-1929 ने प्राथमिक शिक्षा की समस्या पर विचार कर उनकी समस्याओं के समाधान की रूपरेखा तैयार किया। हर्टाग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत में एक बड़ी संख्या में छात्र प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये बिना प्राथमिक शिक्षा से हट जाते हैं। वह समस्या आज देश को आजाद हुए 62 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु इससे पूर्ण रूपेण मुक्ति नहीं मिल पायी है। इसके कारण एवं निवारण को शोध का विषय बनाया गया है। प्राथमिक विद्यालय में अपव्यय का दर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की तुलना में अधिक है, इसका कारण प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की उम्र कम होती है उन्हें अपने भविष्य को सोचने की क्षमता विकसित नहीं होती इसलिए ये बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठ जाते हैं और उनके अभिभावक भी इतने उदासीन होते हैं कि उन्हें विद्यालय भेजने में सख्ती नहीं करते और परिणाम वे अबोध बालक पढ़ाई छोड़ कर घर के कार्यों या किसी दूसरे के कार्यों में लग कर कुछ धन अर्जन करना चाहते हैं। जहाँ तक पूर्व माध्यमिक विद्यालय का प्रश्न है। अपव्यय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तो इतना भी नहीं होना चाहिए था परन्तु अभिभावक और छात्र के उदासीनता के कारण इतना प्रतिशत अपव्यय विद्यमान है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- यादव राम चन्द्र (1999). इलाहाबाद जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ देने वालों (अपव्यय) का एक अध्ययन, बीर बहादुर सिंह पूवा चल वि०वि० जौनपुर
- बुच एम०बी० (1987). थर्ड सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन एन०सी०ई०आर०टी० नयी दिल्ली
- बुच० एम० बी० (1991). फोर्थ सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन (1983-88) बाल्यूम-1, 2 एन०सी०ई०आर०टी० नयी दिल्ली
- बेस्ट जॉन डब्ल्यू (1983). रिसर्च इन एजुकेशन प्रेन्टिस हल आल इण्डिया प्रा०लि०, नई दिल्ली
- सिंह प्रेम सुन्दर (1985). प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का अध्ययन जनपद देवरिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
- हुसैन टार्स्टेन (1985). दि इण्टर नेशनल इन साइक्लोपीडिया आफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड स्टडीज बाल्यूम-9 टी० राँड परगामान प्रेस न्यूयार्क
- भारत का संविधान (1990). भारत सरकार विधायी विभाग, राजभाषा, दिल्ली
- भारत सरकार (1986). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नयी दिल्ली
- भटनागर सुरेश (1990). इण्डियन एजुकेशन (टुड एण्ड टुमोरो) सेकेण्ड एडिशन इण्टर नेशनल पब्लिशिंग हाउस मेरठ इण्डिया
- पाठक पी० डी० (1991). भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं। विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 1991-92
- फोर्थ आल इण्डिया एजुकेशन सर्वे एन०सी०ई०आर०टी० नयी दिल्ली 1992
- गोयट्स फिलिप डब्लू (1988). द न्यू इन साइक्लोपीडिया, ब्रिटानिका बाल्यूम-21 इन साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इंक शिकागो

Corresponding Author

Sarita Kumari*

Research Scholar, Satya Sai University, Shehore

E-Mail – chintuman2004@gmail.com